स०नं० 703
फी स० 13-20
ह०नं० 618
पृ०सं० 03

(1)

न्यायालय उपजिलाधिकारी हर्रैया
वाद सं० 19/114 82 कम्प्यूटरीकृत वाद सं० T201417140153 4u
अन्तर्गत धारा 143 जमींदारी विनाश अधिनियम
तहसील हर्रैया जिला बस्ती
प्रबन्धक
नकल आदेश दिनांक 24-9-14
आदेश की छायाप्रति संलग्न है।

उपजिलाधिकारी हर्रैया बस्ती

INDIA FEE FIVE RUPEES
INDIA FEE FIVE RUPEES
Rs.2 INDIA
INDIA ONE RUPEE

4
13-20
24-9-14

INDIA FIVE RUPEES NOTARIAL
INDIA FIVE RUPEES NOTARIAL

20/1/...

NOTARY
Distt. Basti
Govt. of Uttar Pradesh (India)

(2)

न्यायालय उप जिलाधिकारी हरैया बस्ती ।

वाद संख्याः 191/14
क0 वाद संख्याः T20141714015348

अन्तर्गत धारा 143 जमींदारी विनाश अधिनियम बाबत ग्राम पदमापुर तप्पा मनवरपारा परगना नगर पश्चिम तहसील हरैया जिला बस्ती।

चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय——————बनाम——————सरकार
पाण्डव नगर बस्ती द्वारा प्रबंधक
राम प्रसाद चौधरी

निर्णय

वादी संस्था चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय, पाण्डव नगर, बस्ती के प्रबन्धक श्री राम प्रसाद चौधरी द्वारा महाविद्यालय के नाम अंकित भूमिधरी आराजी गाटा संख्याः 33ग, 32ग, 30ख, 32ख, 32ज, 32च, 32घ, 32ट, 32ड, 33क, 34क, 33ख, 34ख, 35घ, 32क, 150, 197ख, 31, 32, 37 व 30क स्थित ग्राम पदमापुर को अकृषिक प्रयोजन की भूमि घोषित किये जाने हेतु जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त भूमि पर महाविद्यालय का भवन एवं प्रांगण स्थित है। भूमि का कृषि, बागवानी, उद्यानीकरण, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, सूकर संवर्धन आदि से इतर अकृषिक प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा रहा है। अतएव उक्त भूमि को राजस्व अभिलेख में अकृषिक प्रयोजन हेतु भूमि अंकित करते हुए लगान से मुक्त किया जाय। प्रार्थना पत्र पर तहसील से आख्या प्राप्त किया गया।

वादी संस्था के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि पत्रावली में संलग्न नायब तहसीलदार की आख्या दिनांक 15.09.2014 जो तहसीलदार हरैया द्वारा दिनांक 18.09.2014 को संस्तुति सहित प्रेषित किया गया है में उल्लेख किया गया है कि ग्राम पदमापुर तप्पा मनवरपारा परगना नगर पश्चिम तहसील हरैया जिला बस्ती की खतौनी वर्ष 1421–1426 फसली के खाता संख्याः 06 के गाटा संख्या 32च/1.326 हे0, खाता संख्या 15 के गाटा संख्या 30ख/0.025 हे0 व गाटा संख्या 32ख/0.152, खाता संख्या 94 के गाटा संख्या 33ग/0.040, गाटा संख्या 32ग/0.344, खाता संख्या 129 के गाटा संख्या 33/0.300 व गाटा संख्या 34/0.474, खाता संख्याः 03 के गाटा संख्याः 32क/0.101, खाता संख्याः 32ड/ 0.780, खाता संख्या 26 के गाटा संख्या 32छ/0.108, खाता संख्या 32 के गाटा संख्या 32ज/0.507 व खाता संख्याः 131 के गाटा संख्या 32ञ,ट/0.204 हे0 भूमि पर चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय, पाण्डव नगर, बस्ती का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित हैं। तहसील की आख्यानुसार- गाटा संख्या 32च/1.326 हे0, गाटा संख्या 30ख/0.025 हे0 व गाटा संख्या 32ख/0.152, गाटा संख्या 33ग/0.040, गाटा संख्या 32ग/0.344, गाटा संख्या 33/0.300 व गाटा संख्या 34/0.474, गाटा संख्याः 32क/0.101, खाता संख्याः 32ड/0.780, गाटा संख्या 32छ/0.108, गाटा संख्या 32ज/0.507 व गाटा संख्या 32ञ,ट/0.204 हे0 भूमि पर चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय, पाण्डव नगर, बस्ती का भवन व प्रांगण स्थित है जो चहरदीवारी के अन्दर है। उक्त भूमि का महाविद्यालय द्वारा अकृषिक उपयोग किया जा रहा है। अतएव उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में आकृषिक प्रयोजन हेतु भूमि घोषित किया जाय।

वादी संस्था के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को सुनने के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध तहसील की आख्या एवं अन्य अभिलेखों का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न ग्राम ग्राम पदमापुर तप्पा मनवरपारा परगना नगर पश्चिम तहसील हरैया जिला बस्ती की खतौनी वर्ष 1421–1426 फसली के खाता संख्याः 06 के गाटा संख्या 32च/1.326 हे0, खाता संख्या 15 के गाटा संख्या 30ख/0.025 हे0 व गाटा संख्या 32ख/0.152, खाता संख्या 94 के गाटा संख्या 33ग/0.040, गाटा संख्या 32ग/0.344, खाता संख्या 129 के गाटा संख्या 33/0.300 व गाटा संख्या 34/0.474 खाता संख्याः 03 के गाटा संख्याः 32क/0.101, खाता संख्याः 05 के गाटा संख्या 32ड/0.780, खाता संख्या 26 के गाटा संख्या 32छ/0.108, खाता संख्या 32 के गाटा संख्या 32ज/0.507 व खाता संख्याः 131 के गाटा संख्या 32ञ,ट/ 0.204 हे0 भूमि पर चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय, पाण्डव नगर, बस्ती का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। पत्रावली में जमींदारी विनाश अधिनियम एवं भूमि

क्रमशः 2 पर

(2)

व्यवस्था नियमावली में निर्धारित प्रारूप पर आख्या संलग्न है। तहसील की आख्यानुसार विवादित भूमि गाटा संख्या 32च/1.326 हे0, गाटा संख्या 30ख/0.025 हे0 व गाटा संख्या 32ख/0.152, गाटा संख्या 33ग/0.040, गाटा संख्या 32ग/0.344, गाटा संख्या 33/0.300, गाटा संख्या 34/0.474, गाटा संख्याः 32क/0.101, गाटा संख्या 32ड/0.780, संख्या 32छ/0.108, संख्या 32ज/0.507 व गाटा संख्या 32ञ,ट/0.204 हे0 भूमि पर चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय, पाण्डव नगर, बस्ती का भवन व प्रांगण स्थित है जो चहरदीवारी के अन्दर है। उक्त भूमि का महाविद्यालय द्वारा अकृषिक उपयोग किया जा रहा है। अतएव वर्तमान में हो रहे उपयोग के अनुसार भूमि को राजस्व अभिलेखों में अकृषिक प्रयोजन हेतु भूमि घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः ग्राम पदमापुर तप्पा मनवरपारा परगना नगर पश्चिम तहसील हरैया जिला बस्ती की खतौनी सन् 1421—1426 फसली के खाता संख्याः 06 के गाटा संख्या 32च/1.326 हे0, खाता संख्या 15 के गाटा संख्या 32ख/0.152 हे0 व गाटा संख्या 30ख/0.025, खाता संख्या 94 के गाटा संख्या 33ग/0.040, गाटा संख्या 32ग/0.344, खाता संख्या 129 के गाटा संख्या 33/0.300 व गाटा संख्या 34/0.474, खाता संख्याः 03 के गाटा संख्याः 32क/0.101, खाता संख्याः 05 के गाटा संख्या 32ड/0.780, खाता संख्या 26 के गाटा संख्या 32छ/0.108, खाता संख्या 32 के गाटा संख्या 32ज/0.507 व खाता संख्याः 131 के गाटा संख्या 32ञ,ट/0.204 हे0 कुल रकबा 4.061 हे0 भूमि को अकृषिक प्रयोजन हेतु घोषित करते हुए लगान रूपया 60.25 भू राजस्व से मुक्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के नियम 137 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में आदेश की प्रमाणित प्रति उप निबंधक हरैया को प्रेषित किया जाय। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद अनुपालन आदेश पत्रावली दाखिल दफ्तर किया जाय।

दिनांक : 24, सितम्बर,2014

(महेन्द्र सिंह)
उप जिलाधिकारी,
हरैया—बस्ती।

हरैया बस्ती

24-9-14

With Original Document
Produced Before Me

Mahesh Chandra Sharma
NOTARY Advocate

NOTARY
Govt. of Uttar Pradesh (India)

2/5/2025